

581
53

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : के०सी० जैन
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-680-दो/2004 विरुद्ध आदेश दिनांक 11-05-2004 पारित
द्वारा आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक-113/अपील/96-97

रामजी द्विवेदी तनय स्व० रामसुन्दर द्विवेदी
निवासी-ग्राम मुकुन्दपुर, तहसील अमरपाटन
जिला-सतना, म०प्र०

-----आवेदक

विरुद्ध

- 1- मदन कोल अध्यक्ष, आदिवासी
निवासी-ग्राम मुकुन्दपुर, तहसील अमरपाटन
जिला-सतना, म०प्र०
- 2- शासन म०प्र०

-----अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री के०के० द्विवेदी, अनावेदक क्र० 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/9/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण क्रमांक प्रकरण क्रमांक-113/अपील/96-97 में पारित आदेश दिनांक 11-05-2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम मुकुन्दपुर स्थित भूमि खसरा नं० 136 के रकबा 1.90 ए० भूमि की आवास हेतु सुरक्षित करने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर सतना द्वारा पारित किया गया। जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा अपील

M

5

न्यायालय आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । प्रकरण क्रमांक 113/अपील/96-97 पर दर्ज किया गया और दिनांक 11.05.04 को आदेश पारित कर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अपील निराधार मानकर निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश से दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि अपील में मुख्य आधार यह है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि वह 300 फलदार बड़े-बड़े वृक्ष आम, नींबू, आमला एवं बीही आदि के लगाये है तथा अपना मकान बनाया है । इसलिये उक्त भूमि को आबादी घोषित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश परस्पर विरोधाभाषी है, क्योंकि एक ओर आबादी के लिये भूमि घोषित करते है तथा दूसरी ओर उनके विरुद्ध धारा 248 के तहत अतिक्रमण की कार्यवाही कर रहे है । अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया । ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अतः आदेश विधि के विपरीत होने से निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में विधिवत जांच किया जाना पाया गया । प्रकरण में इशतहार जारी किया जाना पाया गया तथा संबंधित ग्राम पंचायत को भी इसकी सूचना दिया जाना पाया गया । जारी इशतहार की समयावधि में आवेदक द्वारा कोई आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है । ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया । यदि आवेदक अपना हक रखता था जो इशतहार की समयावधि में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिये, परन्तु उनके द्वारा नहीं किया गया । ऐसी स्थिति में सुनवाई के लिये अवसर न दिये जाने का उनका तर्क मान्य योग्य नहीं है । जहां तक उनका यह कहना है कि उन्होंने भूमि पर बगीचा लगाकर कब्जा किया है । इस संबंध में उनके द्वारा ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया और न ही कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत किया कि उनका उक्त शासकीय भूमि पर बगीचा लगाने की अनुमति लिया हो । अनाधिकृत रूप से शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लेने और बाद में




The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records and the role of the committee in overseeing the process. It mentions the need for transparency and accountability in all actions taken. The second part details the specific steps and procedures that must be followed to ensure compliance with the relevant regulations. It emphasizes the importance of regular communication and reporting to the appropriate authorities. The final part of the document concludes with a statement of intent to continue working towards the goals outlined in the initial report.

The following section provides a detailed overview of the current status of the project and the challenges that have been encountered. It highlights the progress made to date and the areas that require further attention. The document also includes a list of recommendations for future actions and a timeline for implementation. It is hoped that these measures will lead to a more efficient and effective process in the coming months. The committee remains committed to its duty and will continue to work closely with all stakeholders to achieve the best possible outcomes.

[Handwritten signature]